

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार\***

\*थाना धनघटा पुलिस\* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

\*थाना बखिरा पुलिस\* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

\*थाना महुली पुलिस\* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनों से 1,37,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 19.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनों से 1,37,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद\***

जनपद में \*मिशन शक्ति अभियान\* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद \*श्री अजीत चौहान\* के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 68/2025 धारा 137(2) बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अफरान पुत्र जाकिर अली निवासी सिया कटाई टोला भंगुरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को टेमा रहमत तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना दुधारा पर वादी की नतनी को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 19.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण\* – उ0नि0 श्री कृष्णकान्त मिश्रा, का0 भीम कुमार, म0का0 आरती सिंह।

**\*पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामलों में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को \*माननीय न्यायालय ए0एस0जो/एस0पी0जो0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर\* के द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरण:-**

मु0अ0स0 112/2017 धारा 354(क)/323/504/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त सोहन पुत्र स्व0 रामफल निवासी तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 323/506 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।